राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान जयपुर)

क्रमांक : एफ 10( )स्टोर/निजभूस/2012–13/731 – 980 दिनांक: 26.2.13

कार्यालय आदेश

राजस्थान राजपत्र में जारी अधिसूचना दिनांक 24.01.2013 द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012) एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013) राज्य में दिनांक 26.01.2013 से प्रभावी हो गये है।

उक्त अधिनियम के अध्याय–3 एवं नियमों के अध्याय–7 के अनुसार बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला (Bidder or Prospective Bidder) उपापन प्रक्रिया के दौरान उपापन के संस्था के निर्णय, कार्यवाही या लोप, इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों के उपबन्धों के उल्लघन में है तो वह अपील दाखिल कर सकेगा।

अतः जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लिये निम्नानुसार अपील अधिकारी नियुक्त किये जाते है :–

क्र.सं.	कार्यालय	प्रथम अपील अधिकारी
1.	सहायक अभियन्ता, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण (पी.आई.ए. आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	परियोजना प्रबन्धक (डब्ल्यू.सी.डी.सी.) एवं अधिशाषी अभियन्ता (भू–संसाधन) जिला परिषद
2.	परियोजना प्रबन्धक (डब्ल्यू.सी.डी.सी.) एवं अधिशाषी अभियन्ता (भू–संसाधन) जिला परिषद	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
3.	निदेशक जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण	शासन सचिव पंचायतीराज विभाग

द्वितीय अपील अधिकारी राज्य सरकार के विभागों के लिये संबंधित प्रशासनिक विभाग होगा। यदि प्रशासनिक विभाग स्वयं उपापन संस्था या प्रथम अपील अधिकारी है तो वित्त विभाग प्रथम/द्वितीय अपील अधिकारी होगा। ऐसे मामलों में जहां वित्त विभाग प्रथम अपील अधिकारी है तो द्वितीय अपील अधिकारी प्रकारण विशेष के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित (designated) किया जायेगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डा0 ओरूषी मलिक)
निदेशक

क्रमांक : एफ 10( )स्टोर/निजभूस/2012–13/ दिनांक:

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
2. शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, आई.डब्ल्यू.एम.पी./प्रशासन, मुख्यालय, जयपुर।
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (गंगानगर को छोड कर)।
8. समस्त उप निदेशक/परियोजना अधिकारी (भू–सं.) निदेशालय, जयपुर।
9. समस्त परियोजना प्रबंधक एवं अधिशाषी अभियन्ता, WCDC, जिला परिषद (गंगानगर को छोड कर)।
10. समस्त सहायक अभियन्ता (पी.आई.ए. आई.डब्ल्यू.एम.पी.) जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण

(डा0 ओरूषी मलिक)
निदेशक

Other